पत्रांक–भवन / स्था0–01–विविध–916 / 2015........................... /

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
सभी अधीक्षण अभियंता,
सभी कार्यपालक अभियंता,
सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
भवन निर्माण विभाग, पटना।

पटना दिनांक–

विषयः– सामान्य भविष्य निधि में संचित राशि की अंतिम निकासी हेतु आवेदन पत्र BTC–56 की अनिवार्यता समाप्त किये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग की अधिसूचना सं0–1126 दिनांक–15.03.2017 के द्वारा दिनांक–01.07.2017 के बाद वार्द्धक्य सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को सामान्य भविष्य निधि के अंतिम निकासी हेतु अंतिम निकासी आवेदन पत्र BTC–56 समर्पित करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।

अतः इस संबंध में वित्त विभाग के उक्त अधिसूचना एवं भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग, पटना के पत्रांक–4132 दिनांक–06.09.2017 की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि पत्र में वर्णित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहेंगे।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0 / –
(चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः– 13 (अ) पटना, दिनांक– 2/1/18

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/12/17

सरकार के उप सचिव।

19/12/17

(56)

निबंधन संख्या पी०टी०-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 फाल्गुन 1938 (श०)

(सं० पटना 214) पटना, मंगलवार, 21 मार्च 2017

वित्त विभाग

अधिसूचना

15 मार्च 2017

सं० 1126—भारत के संविधान के अनुच्छेद– 283 के खंड– 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, विस्तार एवं लागू होना।– (1) यह नियमावली बिहार सामान्य भविष्य निधि (संशोधन–1) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह 1 अप्रैल 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी तथा 1 जुलाई 2017 को अथवा इसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले सभी अंशदाताओं पर लागू होगी।

2. बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 13 के उप नियम (3) के बाद निम्नलिखित नए उप नियम (4) एवं उप नियम (5) जोड़े जाएँगे:–

"(4) भविष्य निधि लेखा में अंशदान की कटौती अंशदाता की वार्द्धक्य सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन महीने पूर्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा अनिवार्य रूप से बन्द कर दी जायेगी।"

"(5) अंशदाता को सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने भविष्य निधि लेखा में निधि रखने का विकल्प नहीं होगा:

परन्तु ऐसे मामलों में जहाँ इस संशोधन के आरंभ के पूर्व स्वीकृति दी गई हो, स्वीकृति के शर्तों के अनुसार अपने भविष्य निधि लेखा में निधि रखी जा सकेगी।"

3. बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 32 का उप नियम (3) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

"(3) कोई व्यक्ति, जो इस नियम के अधीन भुगतान का दावा करने का इच्छुक हो, इस निमित्त लेखा पदाधिकारी को एक लिखित आवेदन भेजेगा। निकासी की गयी राशियों का भुगतान केवल भारत में किया जाएगा। वे व्यक्ति जिन्हें राशि देय हो, भारत में भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वयं अपनी व्यवस्था करेंगे:

परन्तु वार्द्धक्य सेवानिवृत्ति के मामले में ऐसे आवेदन पत्र के प्रेषण की आवश्यकता नहीं होगी, अपितु संबंधित भविष्य निधि कार्यालय स्वतः ही अंतिम निकासी हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत करने की कार्रवाई करेगा।"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सचिव (व्यय)।

ज्ञापांक संख्या–जी0पी0एफ0–01–107 / 2012 (खण्ड) 4132

बिहार सरकार

(भविष्य निधि निदेशालय)

वित्त विभाग

23604
20.9.17

प्रेषक,

भविष्य निधि निदेशालय
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव,
बिहार।

सभी विभागाध्यक्ष,
बिहार।

सभी जिलाधिकारी,
बिहार।

अपर सचिव (लेखा)

अपर सचिव
भवन निर्माण विभाग
बिहार, पटना

पटना दिनांक– 6.9.17

5-9.17

विषय :– अंतिम निकासी हेतु अंतिम निकासी आवेदन पत्र BTC-56 की अनिवार्यता समाप्त किये जाने के संबध में।

प्रसंग :– वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 1126 दिनांक 15.03.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 1126 दिनांक 15.03.2017 के द्वारा दिनांक 01.07.2017 के बाद वार्द्धक्य सेवानिवृत होने वाले कर्मियों को सामान्य भविष्य निधि के अंतिम निकासी हेतु अंतिम निकासी आवेदन पत्र BTC-56 समर्पित करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। परन्तु eGPF Portal में कुछ कर्मियों का Data या तो अपूर्ण है अथवा त्रुटिपूर्ण है।

पूर्व में निदेशालय के ज्ञापांक 1074 दिनांक 09.03.2017 द्वारा सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकरियों से उनके अधिन अगले छः माह में वार्द्धक्य सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के संबंध में सूचना विहित प्रपत्र में मांगी गई थी, परन्तु आदिनांक सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को वांछित सूचना / प्रतिवेदन ससमय भविष्य निधि निदेशालय / संबंधित जिला भविष्य निधि कार्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश देने की कृपा की जाय ताकि अंतिम निकासी से संबंधित मामलों का त्वरित निष्पादन किया जा सके।

सूचना का प्रपत्र

क्रम सं0	अंशदाता का नाम	पदनाम	भविष्य निधि लेखा संख्या	जन्म तिथि	योगदान की तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	कोषागार का नाम	निकासी एवं व्ययन पदा0 का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9

विश्वसभाजन

5/9/17

निदेशक
भविष्य निधि निदेशालय

2448
5/10/17

26.9.17

श्री सुबोध जी

25/10/17

8780
25.9.17